# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 18/310

किशन चन्द्र आत्मज मोडूलाल दत्तक पुत्र बूची लाल आयु 71 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम चौमा कोटा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

**बनाम**

1. कन्या बाई बेवा बूची लाल आयु 90 वर्ष जाति माली निवासी चौमा कोट हाल आमली तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. गुलाब चन्द आत्मज मोडूलाल ।
3. जोधराज आत्मज मोडूलाल
4. हंसराज आत्म्ज रामनिवास ।
5. माधो लाल आत्मज रामनिवास ।
6. ममता पुत्री माधो लाल जी ।
7. निहाल बाई बेवा रामनिवास माली निवासीगण चौमा कोटा तहसील दीगोद जिला कोटा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री दयाराम सेन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः 06.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चौमा कोट तसहील दीगोद जिला कोटा में कुल 10 किता की 9.06 हैक्टर आराजी स्थित है । उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता व उनके भ्राता बूची लाल के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही थी जिसमें मोडूलाल का 1/2 हिस्सा व बूची लाल का 1/2 हिस्सा दर्ज चला आ रहा था । बूची लाल की मृत्यु के बाद 1/2 हिस्से पर उनकी पत्नी प्रतिवादी कम 1 कन्या बाई का नाम दर्ज हुआ तथा मोडूलाल की मृत्यु के बाद उनके चारों पुत्र वादी किशनचन्द्र, गुलाब चन्द, जोधराज व रामनिवास व पुत्री संतोष का नाम दर्ज

हुआ व रामनिवास की मृत्यु के बाद उसके वारिसान प्रतिवादी क्रम 4, 5, 6 व 7 का नाम दर्ज हुआ । वादी के पिता के भाई बचूी लाल के कोई संतान नहीं होने से प्रतिवादी क्रम 1 के पति बूचीलाल ने वादी को उसके बचपन में ही अपने पास पुत्रवत रखा और तभी से वादी बूचीलाल के पास निवास करता चला आ रहा था और वादी का लालन पोषण बूची लाल व प्रतिवादी क्रम 1 ने किया । बूचीलाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रम 1 की सहमति व स्वीकृति से बूचीलाल का अंतिम क्रिया कर्म व दाह संस्कार व अन्य सामाजिक कार्यक्रम वादी ने पुत्रवत किये व बूचीलाल की पगडी वादी के बंधवाई और वादी को मृतक बूची का वारिस घोषित किया गया । बूची लाल की मृत्यु के बाद बूची लाल के 1/2 हिस्से की भूमि को वादी प्रारम्भ से ही काश्त करता चला रहा है ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी में वादी को मृतक बूची लाल के हिस्से 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे और उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अुन्तरण नहीं करें ।

4. तत्पश्चात् प्रतिवादी क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश करन निवेदन किया कि वादी ने उक्त वाद गोदपुत्र के आधार पर प्रस्तुत किया है जबकि वास्तविक रूप से वादी प्रतिवादी क्रम 1 का गोदपुत्र नहीं है । ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय से गोदपुत्र की घोषणा करवाए बिना प्रस्तुत वाद विधि –विरूद्ध होने से खारिज किया जावे । प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा भंवरलाल व चन्द्रप्रकाश के पक्ष में किये गये दानपत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाए बिना प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.05.2018 के द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए दावा वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री 08.05.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वाद खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है जिसमें दान पत्र को अवैध घोषित किये जाने अथवा गोदपुत्र की घोषणा के बाबत् कोई उल्लेख नहीं है बल्कि प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा में आपत्ति उठाई गई है जिसका निस्तारण वाद में साक्ष्य लेखबद्ध करने के बाद ही किया जा सकता है इसके बावजूद भी दानपत्र व गोद को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है जिसमें वादी व प्रतिवादी का समान हिस्सा

है। खातेदार प्रतिवादी क्रम 1 कन्या बाई को दान करने का अधिकार नहीं था । खातेदार कन्या बाई 90 वर्षीय वृद्ध महिला है जिसको उसके भाई भतीजो ने बहला फसला कर दिनांक 18.09.2017 को दान पत्र निष्पादित करवा लिया जबकि प्रतिवादी क्रम 01 की दिनांक 18.09.2017 को मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी । बूची लाल के कोई संतान नहीं होने से बूची लाल ने वादी को उसके बचपन में ही अपने पास पुत्रवत रखा वह बूची लाल के पास की निवास करता चला आ रहा था । बूची लाल की मृत्यु के बाद बूची लाल के 1/2 हिस्से की भूमि को वादी प्रारम्भ से ही काश्त करता चला रहा है । बूची लाल की मृत्यु के बाद बूचीलाल के 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के नाम दर्ज की गई । वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से आपत्ति करने पर प्रतिवादी क्रम 1 ने कहा कि तू ही तो मेरा बेटा व वारिस है मेरे मरने के बाद तेरा ही तो नाम आएगा । इस कारण वादी ने इंतकाल के बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की । वादी अपीलान्ट के वास्तविक व प्राकृतिक पिता मोडूलाल की मृत्यु के बाद वादी का नाम उनके अन्य वारिसान के साथ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया किन्तु वादी का कब्जा मोडूलाल के वारिसान के साथ नहीं रहा बल्कि बूची लाल की भूमि में रहा । इस कारण मोडूलाल के वारिसान प्रतिवादीगण द्वारा वादी से मोडूलाल के हिस्से में दर्ज भूमि को अपने नाम हक रिलीज करवा लिया ओर उक्त रिलीज के आधार पर उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से वादी का नाम डिलीट कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा पेश किया गया साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर त्रुटिपूर्ण दावा वादी खारिज किया है । वादी के द्वारा दावा हक, घोषणा का किया गया है । दान पत्र को अवैध घोषित किये जाने अथवा गोदपुत्र की घोषणा के बाबत् कोई उल्लेख नहीं है बल्कि प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा में आपत्ति उठायी गयी है जिसका निस्तारण वाद में साक्ष्य लेख बद्ध करने के उपरान्त ही किया जा सकता है । आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता । प्रतिवादी क्रम 1 कन्याबाई को दान करने का कोई अधिकार नहीं है । वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी आराजी है और पुश्तैनी आराजी को दान नहीं किया जा सकता । दावे एवं जवाबदावके आधार पर तनकीयात कायम कर तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित किया जाना अवश्यंक है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट कन्या बाई द्वारा निष्पादित 1/2 हिस्से के दानपत्र से वे खातेदार है । अपीलान्ट ने स्वयं को मृतक बूचीलाल का गोदपुत्र बताते हुए दावा पेश किया है परन्तु बूची लाल ने वादी अपीलान्ट को कभी भी गोद नहीं लिया था । वादी ने स्वयं को मृतक बूची का गोदपुत्र घोषित नहीं करवाया है । गोदपुत्र सिविल न्यायालय से ही घोषित करवाया जा सकता है । वादी अपीलान्ट के पास कोई गोदनामा नहीं है । वादग्रस्त आराजी का दान पत्र कन्या बाई ने निष्पादित कर दिया है जिनके पक्ष में दानपत्र निष्पादित किया गया है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है जो कि आवश्यक पक्षकार हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.05.2018 बहाल रखा जावे।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने स्वयं को मृतक बूची लाल एवं कन्या बाई का गोदपुत्र बताते हुए हक, घोषणा का दावा पेश किया है । वादी ने स्वयं को गोदपुत्र सिद्ध करने के लिए कोई गोदनामा पेश नहीं किया है । ऐसी स्थिति में यदि वादी स्वयं को मृतक बूची व कन्या बाई का गोदपुत्र घोषित करवाना चाहता है तो उसे इस तरह की सहायता सिविल न्यायालय द्वारा दी जा सकती है न कि राजस्व न्यायालय के द्वारा । व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के लिए दावे का ही अवलोकन करना होता है न कि जवाबदावे का । दावे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी गोदपुत्र के आधार पर हक, घोषणा चाहता है और जब तक वादी स्वयं को विधिक रूप से सिविल न्यायालय से गोदपुत्र घोषित नहीं करवाता तब तक उनका यह दावा राजस्व न्यायालय में चलने योग्य नहीं है ।

11. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करने दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.05.2018 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/11/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

# अपील में डिक्री

## (आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

## राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

### बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

**अपील संख्या : 18/310**

किशन चन्द्र आत्मज मोडूलाल दत्तक पुत्र बूची लाल आयु 71 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम चौमा कोटा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

**बनाम**

1. कन्या बाई बेवा बूची लाल आयु 90 वर्ष जाति माली निवासी चौमा कोट हाल आमली तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. गुलाब चन्द आत्मज मोडूलाल ।
3. जोधराज आत्मज मोडूलाल
4. हंसराज आत्म्ज रामनिवास ।
5. माधो लाल आत्मज रामनिवास ।
6. ममता पुत्री माधो लाल जी ।
7. निहाल बाई बेवा रामनिवास माली निवासीगण चौमा कोटा तहसील दीगोद जिला कोटा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

**बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.05.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।**

**वाद संख्याः 145/दावा/2017**

किशन चन्द्र आत्मज मोडूलाल दत्तक पुत्र बूची लाल आयु 71 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम चौमा कोटा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

——वादी

**बनाम**

1. कन्या बाई बेवा बूची लाल आयु 90 वर्ष जाति माली निवासी चौमा कोट हाल आमली तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. गुलाब चन्द आत्मज मोडूलाल ।
3. जोधराज आत्मज मोडूलाल
4. हंसराज आत्म्ज रामनिवास ।
5. माधो लाल आत्मज रामनिवास ।
6. ममता पुत्री माधो लाल जी ।
7. निहाल बाई बेवा रामनिवास माली निवासीगण चौमा कोटा तहसील दीगोद जिला कोटा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

---प्रतिवादी

## अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.05.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 06.11.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री दयाराम सेन एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.05.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 06.11.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

**मुहर**

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा